भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाएँ/कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	मंत्रालय	टिप्पणियाँ
1.	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, ताकि नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ के साथ-साथ नए रोजगार सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
2.	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)	श्रम और रोजगार मंत्रालय	नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) 1.4.2016 से शुरू की गई थी, 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक लाभ मिलता रहेगा। यानी, 31 मार्च, 2022 तक।
3.	राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना	श्रम और रोजगार मंत्रालय	नौकरी मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि जैसी विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन की परियोजना। इस परियोजना में तीन महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं- (i)(एनसीएस पोर्टल (www-ncs-gov-in), (ii) मॉडल कैरियर केंद्र; और (iii) रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना
4.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गुआरा	ग्रामीण विकास मंत्रालय	मनरेगा का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।
5.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार भत्ता (पीएमजीकेआरए)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) 20 जून, 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया एक 125-दिवसीय अभियान है, जिसका मिशन एक बहु-माध्यम के माध्यम से वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों और इसी तरह कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण आबादी के मुद्दों को संबोधित करना है। संकटग्रस्त लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ गांवों को संतृप्त करने और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने और 6 में से 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए आजीविका संपत्तियों के निर्माण की रणनीति। 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन वाले राज्य।
6.	आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	आजीविका- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। विश्व बैंक द्वारा निवेश सहायता के माध्यम से आंशिक रूप से सहायता प्राप्त, मिशन का उद्देश्य कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच बनाना है ग्रामीण गरीबों के लिए, उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाना।

7.	पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) सितंबर, 201 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। यह योजना एनआरएलएम का उप घटक जो ग्रामीण गरीबों के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है।
8.	ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएस ईटीआईएस)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	आरएसईटीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो उद्यमिता विकास की दिशा में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में समर्पित बुनियादी ढांचे के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की एक पहल है। आरएसईटीआई का प्रबंधन भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा किया जाता है।
9.	पीएम-स्वनिधि योजना	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 से शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो कि COVID-19 प्रेरित लॉक-डाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे।
10.	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) मामले	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार होगा। मिशन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना होगा।
11.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जो एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।
12.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएम माय)	वित्त मंत्रित्व	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18 अप्रैल 2015 को शुरू की गई एक योजना है। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं, उधारकर्ता ऊपर उल्लिखित किसी भी ऋण देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकता है या इस पोर्टल www-udyamimitra-in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पीएमएमवाई के तत्वावधान में, मुद्रा ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास के चरण और वित्त पोषण आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए 'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' नाम से तीन उत्पाद बनाए हैं और अगले के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान किया है। स्नातक/विकास का चरण।
13.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) युवाओं को कम अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने और उन्हें देश भर में बेहतर आजीविका के लिए रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2015 में शुरू की गई थी। वर्तमान में, PMKVY का तीसरा चरण, यानी PMKVY 3.0 (2020-22) पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

14.	वित्त मंत्रालय का राष्ट्रीय ऐप	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और वकालत समर्थन। इस योजना में निम्नलिखित दो घटक हैं, अर्थात, (i) नियोक्ताओं के साथ प्रति प्रशिक्षु प्रति माह अधिकतम 1500/- रुपये की सीमा के अधीन निर्धारित वजीफे का 25% साझा करना और (ii) बुनियादी प्रशिक्षण लागत को एक तक साझा करना। अधिकतम रु. 7,500 प्रति प्रशिक्षु।
15.	उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	13 मंत्रालय	माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय विनिर्माण चौंपियन बनाने और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की है।
16.	डिजिटल इंडिया	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
17.	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	AMRUT का मिशन घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना है जिससे सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।
18.	डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	श्रम और रोजगार मंत्रालय	'मेक इन इंडिया' पहल 25 सितंबर 2014 को निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, व्यवसाय करना आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
19.	स्मार्ट शहर	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून, 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता प्रदान करते हैं। 'स्मार्ट समाधान', मिशन का लक्ष्य शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत स्तंभों पर व्यापक कार्य के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
20.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	मनरेगा का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।
21.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) गांवों के एक समूह के विकास के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जो मूल रूप से शहरी प्रकृति की मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समानता और विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषित करता है। इस प्रकार 'रूबन गांवों' का एक समूह बनाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से योजनाबद्ध रूर्बन क्लस्टर बनाना है।
22.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	परिवहन कनेक्टिविटी से जुड़े स्मार्ट शहरों के साथ औद्योगिक गलियारों के विकास का समन्वय करना, विनिर्माण और शहरीकरण में भारत की वृद्धि को आगे बढ़ाना।

23.	स्टैंड अप इंडिया योजना	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय)	एससी/एसटी और/या महिला उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना है। स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं, कृषि गतिविधियों या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है, गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी एससी/एसटी या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
24.	स्टार्ट अप इंडिया	डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
25.	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, यह मिशन वर्ष 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है, पीएमएवाई(यू) एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें आवास की कमी की आयु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों (एसएलएनए), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए), केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनएएस) द्वारा मांग मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती है। और प्राथमिक ऋण संस्थान (पीएलआई) मुख्य हितधारक हैं जो पीएमएवाई (यू) के कार्यान्वयन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
26.	स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण	जल शक्ति मंत्रालय	सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। इस मिशन को राष्ट्रव्यापी अभियान/ जनआंदोलन के रूप में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना था। 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, घरेलू स्वामित्व वाले और समुदाय के स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण और शौचालय निर्माण और उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र की स्थापना, मिशन के तहत, सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों भारत ने 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक, ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके खुद को ''खुले में शौच मुक्त'' (ओडीएफ) घोषित कर दिया।
27.	स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएमयू)	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) का उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और देश के 4,041 वैधानिक शहरों में नगरपालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। मिशन के उद्देश्य खुले में शौच का उन्मूलन, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, आधुनिक और वैज्ञानिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करना, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ इसके संबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना, यूएलबी के लिए क्षमता वृद्धि करना है। कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) और ओपेक्स (संचालन और रखरखाव) में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।

28.	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)	श्रम और रोजगार मंत्रालय	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, ताकि नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ के साथ-साथ नए रोजगार सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
29.	स्मार्ट सिटी मिशन	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून, 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता प्रदान करते हैं। 'स्मार्ट समाधान' मिशन का लक्ष्य शहर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत स्तंभों पर व्यापक कार्य के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रतिकृति मॉडल के निर्माण द्वारा टिकाऊ और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है।
30.	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)	आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	AMRUT का मिशन घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे, जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना है, जिससे सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।
31.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)	श्रम और रोजगार मंत्रालय	प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत 12% नियोक्ता का हिस्सा और 12% कर्मचारी का हिस्सा, मार्च से अगस्त, 2020 तक वेतन माह के लिए वेतन का कुल 24% योगदान दिया है। 100 कर्मचारियों तक वाले प्रतिष्ठान और ऐसे 90% कर्मचारी रु. 15000/- से कम कमाते हैं।
32.	प्रधान मातृ श्रम योगी मान-धन (PM - SYM)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) नामक असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है।
33.	व्यापारियों और स्व-रोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-व्यापारी)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	यह योजना खुदरा व्यापारियों/दुकानदारों और स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है, जिनका वार्षिक कारोबार रुपये से अधिक नहीं है। 1.5 करोड़. ये खुदरा व्यापारी/ दुकानदार और स्व-रोजगार व्यक्ति ज्यादातर दुकान मालिकों, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, कार्यशाला मालिकों, कमीशन एजेंटों, रियल एस्टेट के दलालों, छोटे होटलों, रेस्तरां और अन्य लघु व्यापारियों के मालिकों के रूप में काम कर रहे हैं।
34.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबी वाई)	वित्त मंत्रित्व	पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाते वाले लोगों के लिए उपलब्ध है, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। 2 लाख रुपये का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और नवीकरणीय होगा। इस योजना के तहत जोखिम कवरेज रुपये के लिए है। किसी भी कारण से बीमाधारक की मृत्यु होने पर 2 लाख रु. प्रीमियम 330 रुपये प्रति वर्ष है, जिसे योजना के तहत ग्राहक के बैंक खाते से 31 मई को या उससे पहले दिए गए विकल्प के अनुसार एक किस्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। यह योजना जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पेश की जा रही है जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने के इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं।

35.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	वित्त मंत्रित्व	यह योजना बैंक खाते वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो वार्षिक नवीनीकरण के आधार पर 1 जून से 31 मई तक कवरेज अवधि के लिए 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये है। रुपये का प्रीमियम खाताधारक के बैंक खाते से 'ऑटो-डेबिट' सुविधा के माध्यम से एक किस्त में प्रति वर्ष 12 रुपये की कटौती की जानी है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी द्वारा पेश की जा रही है जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने के इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं।
36.	अटल पेंशन योजना	वित्त मंत्रित्व	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए 09.05.2015 को शुरू की गई थी, एपीवाई को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। (पीएफआरडीए)।
37.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है, एनएसएपी भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है जो राज्य को अपने साधनों के भीतर कई कल्याणकारी उपाय करने का आदेश देता है।
38.	आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेए वाई)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार लॉन्च किया गया था। इस पहल को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से व्यापक आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का एक प्रयास है। स्वास्थ्य देखभाल सेवा- इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (रोकथाम, प्रचार और चल देखभाल को कवर करना) को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए अग्रणी हस्तक्षेप करना है।
39.	बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस)	कपड़ा मंत्रालय	कपड़ा मंत्रालय द्वारा हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए 30.09.2014 तक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी के माध्यम से प्रदान की गई थी जिसे खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा चुना गया था। स्वास्थ्य बीमा कंपनी को वास्तविक नामांकन के अनुसार केवल वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया था। बुनकरों द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बीमा दावों का भुगतान सीधे स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा किया गया था।

40.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) है	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एम/ओ एसजे एंड ई) के तहत भारत का उपक्रम 24 जनवरी 1997 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत 'लाभकारी नहीं' कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, एनएसकेएफडीसी अक्टूबर से परिचालन में है। 1997, विभिन्न ऋण और गैर-ऋण आधारित योजनाओं के माध्यम से पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों, सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक सर्वोच्च निगम के रूप में। लक्ष्य समूह के उत्थान के लिए विभिन्न ऋण और गैर-ऋण आधारित योजनाओं को संचालित करने के अलावा, एनएसकेएफडीसी हाथ से मैला ढोने की प्रथा-छुआछूत के सबसे खराब प्रतीक के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, एनएसकेएफडीसी को इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में मैनुअल स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्व-रोजगार योजना।
41.	हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (संशोधित)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	मैनुअल स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना जनवरी, 2007 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य मार्च, 2009 तक शेष मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास करना था। हालाँकि, यह नहीं किया जा सका। लक्ष्य तिथि, योजना को मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया था, यदि आवश्यक हो तो उसके बाद भी लाभार्थियों के स्पिल-ओवर के कवरेज के प्रावधान के साथ, योजना के लॉन्च के बाद राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट की गई अद्यतन संख्या के अनुसार, 1.18 योजना के कार्यान्वयन के लिए 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लाखों मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों की पहचान की गई थी, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013श के अधिनियमन के बाद, एसआरएमएस को अधिनियम के प्रावधान के साथ सिंक्रनाइजेशन में संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के अनुसार, पहचाने गए हाथ से मैला ढोने वालों को, प्रत्येक परिवार से एक को, एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की जाती है। पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को रुपये तक की परियोजना आधारित बैक-एंडेड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए 3,25,000 रुपये और रियायती ऋण। लाभार्थियों को कौशल विकास के लिए दो साल तक की अवधि के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, जिसके दौरान रुपये का वजीफा दिया जाता है। 3,000 प्रति माह भी प्रदान किया जाता है।

❑❑❑